



राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

रेक्टिफिकेशन संख्या 36/2013.....जिला.....कोटा.....

उनवान- नेन्द्र कुमार प्रमोद कुमार, कोटा बनाम सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त-द्वितीय, कोटा।

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामीत में जारी हुए
26.03.2015	<p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ</u> <u>श्री मनोहर पुरी – सदस्य</u> <u>श्री आशा कुमारी – सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी अभिभाषक श्री वी.के.पारीक, प्रत्यर्थी विभाग की ओर से श्री अनिल पोखरणा उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित।</p> <p>व्यवसायी फर्म के वकील श्री वी.के.पारीक द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमे श्री वी.के.पारीक ने निवेदन किया कि विचाराधीन प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र संख्या एफ/12(16)एफडी/कर/ 2009-188 दिनांक 09.02.2015 का लाभ लेना चाहते है, इस हेतु प्रकरण वापस लेना (Withdraw) करना चाहते है।</p> <p>इस पर विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को विद्वान करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।</p> <p>फलस्वरूप श्री वी.के.पारीक के पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत अपील विद्वान करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत अपील जरिये विद्वान खारीज की जाती है।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  (आशा कुमारी) सदस्य </div> <div style="text-align: center;">  (मनोहर पुरी) सदस्य </div> </div>	